क्र 31436/01/8/ 9779/2018

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला–शाजापुर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 300/अ–2/2017–18

1. गोविंदा न्यूट्रिशन प्राईवेट लिमिटेड,
द्वारा विशाल जायसवाल पिता सन्तोषलाल जायसवाल,
निवासी ई.बी.258,स्कीम नं.94, इंदौर, कृषक ग्राम चायनी , तहसील–कालापीपल

विरुद्ध .... आवेदक

1. म.प्र.शासन

.... अनावेदक

(धारा 172(1) म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत)

//आदेश//

आज दिनांक 28/08/2018 को पारित किया गया

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक गोविंदा न्यूट्रिशन प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा विशाल जायसवाल पिता सन्तोषलाल जायसवाल, निवासी ई.बी.258,स्कीम नं.94, इंदौर, कृषक ग्राम चायनी , तहसील–कालापीपल के द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम चायनी तहसील कालापीपल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 790/1 रकबा 3.270 हे. ,जो मौके पर रिक्त है, का औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के संलग्न भूमि की खसरा प्रतिलिपि वर्ष 2017–18 प्रस्तुत की गई। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर सार्वजनिक सूचनार्थ विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा व्यपवर्तन स्वीकार करने के संबंध में अधीक्षक भू–अभिलेख शाजापुर से लगान का निर्धारण एवं प्रब्याजी बाबत् मौके की स्थल निरीक्षण जांच कर, मौका जांच प्रतिवेदन तलब किया गया।

(2) प्रकरण में अधीक्षक भू–अभिलेख शाजापुर से स्थल जांच कराने हेतु उन्हें पत्र लिखा गया। उनके द्वारा उनके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन से स्थल की मौका जांच कराई गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि की मौके पर जाकर जांच की, जिसका मौका पंचनामा तैयार किया जाकर अधीक्षक भू–अभिलेख के नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदित भूमि मौके पर रिक्त होना बताया। राजस्व निरीक्षक ने अपना प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/14/भू.अ./भूमि परि. निर्धा./2018 शाजापुर दिनांक 28.07.2018 से प्रस्तुत किया, जो प्रकरण में संलग्न है, जिसमें आवेदित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन कराने हेतु भूमि परिवर्तन लगान,प्रब्याजी का निर्धारण किया गया।

(3) प्रकरण में आवेदित भूमि के भूमि परिवर्तन करने के संबंध में कार्यपालन यंत्री,म.प्र.वि.मंडल शुजालपुर, अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. शुजालपुर तथा ग्राम पंचायत चायनी से व्यपवर्तन संबंधी रिपोर्ट ली गई। तीनों संस्थाओं के द्वारा पृथक–पृथक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण में संलग्न है। आवेदित भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में तीनों संस्थाओं द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

(4) आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा प्रतिलिपि वर्ष 2017–18 के अवलोकन अनुसार आवेदित भूमि का आवेदक अभिलिखित भूमिस्वामी है।

(5) संपूर्ण प्रकरण के अवलोकन अनुसार आवेदित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तन स्वीकार किए जाने में ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं होती है, जिससे कि सार्वजनिक सुरक्षा,स्वास्थ्य,सुविधा पर कोई विपरीत प्रभाव संभावित हो।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
28/8/2018
हेड कॉपिस्ट
तहसील शुजालपुर

(6) अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अधीन आवेदित ग्राम चायनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 790/1 रकबा 3.270 हे. का औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि व्यपवर्तन स्वीकार किया जाकर म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अधीन भूमि परिवर्तन वार्षिक लगान वर्ष 2017–18 से ₹ 24307 प्रतिवर्ष एवं जनपद उपकर वर्ष 2017–18 से ₹ 12154 प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2017–18 से बर्वे रेट कृषि लगान कम किया जाता है। म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अधीन ₹ 121536 प्रव्याजी निर्धारित की जाती है।

(7) भूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति निम्न शर्तों का पालन करने पर मानी जावेगी–

(1)–आवेदक को स्थल पर किए गए निर्माण के संबंध में विधिवत समस्त विभाग की अनुमति प्राप्त करना होगी।

(2)–नियोजन की दृष्टि से मार्ग विस्तार के लिए आवेदक को मुख्य रास्ते की ओर से अपनी सीमा में 5 फीट खुली भूमि छोड़कर निर्माण करना होगा।

(3)–रास्ता,विकास,नाली,जल मल निकास की व्यवस्था, आवेदक को स्वयं के द्वारा करना होगी तथा इससे कोई सार्वजनिक बाधा उत्पन्न न हो इस बात का ध्यान रखना होगा।

(4)–भूमि की वैधानिकता के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(5)–किसी भी समय, किसी भी प्रकार से सार्वजनिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं सुविधा पर कोई विपरीत प्रभाव उत्पन्न होने की दशा में यह दी गई अनुमति/स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

(6)–आवेदक के लिये यह अनिवार्य होगा कि व्यपवर्तित भूमि में जो भी निर्माण किया जाये, उसमें बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर भूमिगत जल में वृद्धि करने के उद्देश्य से सोख्ते गड्ढे में उतारने का प्रबंध करें। साथ ही खुली भूमि में गिरने वाले पानी को भी सोख्ते गड्ढे में उतारकर वर्षा जल के पुनर्भरन (रैन वॉटर हार्वेस्टिंग) का प्रबंध किया जाये।

आदेश का अंकन तहसील की डब्ल्यू.बी.एन.शाखा में कर मांग दर्ज कराई जावे। पश्चात् प्रकरण राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन को बी–1 में दर्ज करने हेतु नोट करवाया जावे।

आज दिनांक 28/08/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(पार्थ जैसवाल)
अनुविभागीय अधिकारी
शुजालपुर

शुजालपुर दिनांक 28.08.2018

पृ.क्रमांक/प्रवाचक–1/2018/84।
प्रतिलिपि–

1. तहसीलदार कालापीपल की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार भू–अभिलेख रिकॉर्ड में 15 दिवस में अनिवार्य रुप से अमल दरामत करवाये।

अनुविभागीय अधिकारी
शुजालपुर

कार्यालय तहसीलदार तहसील शुजालपुर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
28/8/2018
हेड कापिस्ट
तहसील शुजालपुर

Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

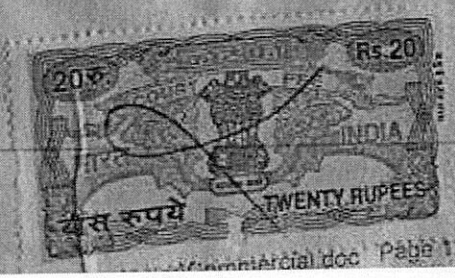

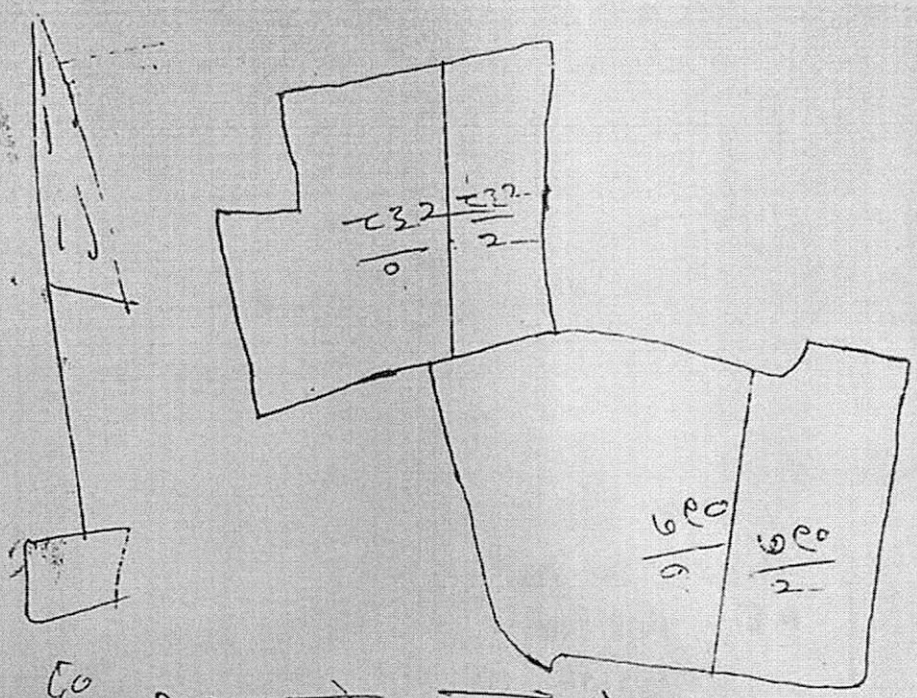

नक्शा ... ग्राम ...
प०ह०नं० 26 तह० कालापीपल
जिला शाजापुर (म०प्र०)

[illegible]

प्र.क्र. 77 अ-3 / 17-18

आदेश दिनांक -
28-5-18 से स्वीकृत

प्रभारी राजस्व निरीक्षक
तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर

तहसीलदार
तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर (म.प्र.)

5रु Rs.5 INDIA भारत FIVE RUPEES पाँच रुपये

सत्य प्रतिलिपि
हेड कॉपिस्ट
तहसील कालापीपल